

दिनांक 23 जून 2023 को आयोजित राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 30 वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 30 वीं बैठक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के अध्यक्ष डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता में दिनांक 23 जून 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I में दी गई है।
2. बैठक में कार्यसूची मर्दाँ के संदर्भ में समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा आगामी पैरा में दिया गया है।

कार्यसूची मद 01: दिनांक 03 मई 2023 को आयोजित एनएसक्यूसी की 29 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

3. समिति को एनएसक्यूसी की 28 वीं और 29 वीं बैठकों के कार्यवृत्त में संबंधित हितधारकों द्वारा रिपोर्ट किए गए मामूली संपादकीय सुधारों का विवरण दिया गया था।
4. समिति ने एनएसक्यूसी की 28 वीं और 29 वीं बैठकों के संशोधित कार्यवृत्त की पुष्टि की। संशोधित कार्यवृत्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
सुधारों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

कार्यसूची मद 02: एनएसक्यूसी की 29 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

5. समिति को एनएसक्यूसी की 29 वीं बैठक के कार्यवृत्त से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया गया। समिति ने की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया और उसका अनुमोदन किया:

कार्यसूची मद 03: अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के लिए छह अतिरिक्त नए प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स का अनुमोदन

6. समिति को बताया गया कि विभिन्न कौशल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले 12 प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स को दिनांक 17.11.2022 और 31.01.2023 को आयोजित एनएसक्यूसी की क्रमशः 24 वीं और 26 वीं बैठकों में अनुमोदित किया गया था। हालांकि, स्किल इकोसिस्टम से अनुरोध प्राप्त करने के बाद, सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए शिक्षार्थियों के लिए इन टेम्पलेट्स को अधिक प्रासंगिक और उपयुक्त बनाने के लिए कुछ संपादकीय सुधारों की

आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा, एनसीवीईटी को विशिष्ट कौशल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और विभिन्न प्रकार के प्रदायी निकायों के लिए छह अतिरिक्त टेम्पलेट डिज़ाइन करने के लिए स्किल इकोसिस्टम से सुझाव भी प्राप्त हुए थे। डिज़ाइन किए गए छह (06) प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स निम्नलिखित के संबंध में थे:

- क) स्कूल बोर्ड
- ख) स्टैंडअलोन राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एनओएस)
- ग) माइक्रो क्रेडेंशियल्स
- घ) अपस्किलिंग के साथ पूर्व शिक्षा की मान्यता
- ड) रिस्किलिंग
- च) अपस्किलिंग

7. समिति ने मौजूदा प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स में किए गए आवश्यक संपादकीय सुधारों को अनुमोदन प्रदान किया। समिति ने छह नए प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स को भी अनुमोदन प्रदान किया। अनुमोदित प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स के डिज़ाइन अनुबंध III में दिए गए हैं।

कार्यसूची मद 04: दो मान्यता प्राप्त एवी से अहता की पुष्टि: जल प्रबंधन और प्लंबिंग कौशल परिषद् (डब्लूएमपीएससी) और खाद्य उद्योग क्षमता एवं कौशल पहल (एफआईसीएसआई)

8. जल प्रबंधन और प्लंबिंग कौशल परिषद् (डब्लूएमपीएससी)

8.1. समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 23.05.2023 को पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की फ्लैगशिप योजना के तहत पंचायतों की ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए बहु- कौशल अहता/ कार्य भूमिका विकसित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और एमएसडीई के सचिवों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

8.2. तदनुसार, डब्ल्यूएमपीएससी ने “जल वितरण संचालक (वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर) (मल्टी-स्किल)” नामक एक अहता विकसित की है और उक्त अहता पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शीघ्र प्रारंभ करने को सक्षम बनाने के लिए जल्द से जल्द अहता के अनुमोदन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अनुरोध के साथ एनसीवीईटी को प्रस्तुत किया।

8.3. एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार अहता के मापदंडों की समीक्षा करने के बाद, तथा उसकी तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, उक्त अहता को दिनांक 13/06/2023 को 'फाइल पर' अनुमोदन प्रदान किया गया था।

8.4. समिति ने उस पर ध्यान दिया और “जल वितरण संचालक (वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर) (मल्टी-स्किल)” नामक अर्हता की पुष्टि की। अर्हता का विवरण अनुबंध V में दिया गया है।

9. खाद्य उद्योग क्षमता एवं कौशल पहल (एफआईसीएसआई)

9.1 समिति को अवगत कराया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (आईवाईएम) के रूप में घोषित किया है। इसलिए यूएनडीपी ने झारखंड में मिलेट खाद्य उत्पाद के उत्पादन के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को तैयार करने, उन्हें प्रशिक्षित करने, मूल्यांकन करने और प्रमाणित करने के लिए एफआईसीएसआई का प्रस्ताव दिया था। तदनुसार, एफआईसीएसआई ने एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए "मिलेट प्रोडक्ट प्रोसेसर" नामक एक अर्हता विकसित की। इसकी तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, उक्त अर्हता को दिनांक 13/06/2023 को 'फाइल पर' अनुमोदन प्रदान किया गया था।

9.2 समिति ने इसका संज्ञान लिया और "मिलेट प्रोडक्ट प्रोसेसर" नामक अर्हता की पुष्टि की। अर्हता का विवरण अनुबंध V में दिया गया है।

कार्यसूची मद 05: 'बछतरबंद कोर महानिदेशालय द्वारा वाणिज्यिक वाहन चालक (भारी मोटर वाहन) नामक रक्षा अर्हता में संशोधन के लिए प्राप्त अनुरोध को दिनांक 3 मई 2023 को आयोजित 29 वीं एनएसक्यूसी में अनुमोदित किया गया

10. समिति को अवगत कराया गया कि बछतरबंद कोर महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत 'वाणिज्यिक वाहन चालक (भारी मोटर वाहन)' नामक अर्हता को एनएसक्यूसी की 29 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। आर्मड कोर ने इसके बाद भारी वाहन ड्राइविंग के ज्ञान की आवश्यकता वाली विभिन्न कार्य भूमिकाओं को समेकित करके उक्त अर्हता को तर्कसंगत बनाया है तथा उन्हें ऐच्छिक विकल्प के रूप में शामिल किया है, जो अन्य मान्यता प्राप्त रक्षा क्षेत्र की एबी की आवश्यकताओं के अनुरूप हों और साथ ही इसे उद्योगों के लिए और अधिक प्रासंगिक बनाता हो।

11. संशोधित अर्हता विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	अर्हता का नाम	व्यवसाय	प्रवेश संबंधी आवश्यकता	नोशनल घंटे	एनएस क्यूएफ स्तर	प्रगति

1	<p>वाणिज्यिक वाहन चालक (भारी मोटर वाहन चालक)</p> <p>ऐच्छिक</p> <p>क) पेट्रोलियम टैंक ट्रॉली</p> <p>ख) सामग्री हैंडलिंग- क्रेन</p> <p>ग) अग्निशमन वाहन</p> <p>घ) विमान री-फ्लूलर</p> <p>ड) रिकवरी वाहन</p>	चालक	<p>12वीं ग्रेड / समकक्ष उत्तीर्ण और अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में नामांकित</p>	<p>कुल - 1350 घंटे थ्योरी- 340 घंटे प्रैक्टिकल - 550 घंटे ओजेटी - 460 घंटे</p> <p>ऐच्छिक</p> <p>क) कुल - 360 घंटे थ्योरी - 90 घंटे प्रैक्टिकल - 160 घंटे ओजेटी - 110 घंटे</p> <p>ख) कुल - 390 घंटे थ्योरी- 90 घंटे प्रैक्टिकल - 180 घंटे ओजेटी - 120 घंटे</p> <p>ग) कुल - 240 घंटे थ्योरी- 70 घंटे प्रैक्टिकल - 90 घंटे ओजेटी - 80 घंटे</p> <p>घ) कुल - 360 घंटे थ्योरी- 95 घंटे प्रैक्टिकल - 100 घंटे ओजेटी - 165 घंटे</p> <p>च) कुल - 180 घंटे थ्योरी- 35 घंटे प्रैक्टिकल - 55 घंटे ओजेटी- 90 घंटे</p>	4.5	<p>वर्टीकल - वाणिज्यिक वाहन चालक ट्रेनर</p> <p>क्षेत्रिज - हल्के वाहन चालक / चौफर</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------

12. प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, समिति ने संशोधित अहता को अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद 06: भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद् (सीएसडीसीआई) की 28 अहताओं को अंतरिम अनुमोदन प्रदान करने और 9 अभिलेखित अहताओं को फिर से सक्रिय करने का प्रस्ताव

13. अट्ठाईस (28) संशोधित अहताओं का अंतरिम अनुमोदन।

13.1 समिति को अवगत कराया गया कि सीएसडीसीआई से 28 संशोधित अहताएं जिनकी वैधता दिनांक 24 जुलाई 2023 को समाप्त हो रही हैं, वैधता के विस्तार के लिए जून 2023 में एनसीवीईटी को प्राप्त हुई थीं। प्रशिक्षण और प्रमाणन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, सभी 28 अहताओं को दिनांक 31 अगस्त 2023 तक अंतरिम अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था।

13.2 समिति ने दिनांक 31 अगस्त 2023 तक या इन अहताओं के संशोधन की तारीख, जो भी पहले हो, तक 28 अहताओं की वैधता बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया। अहताओं का व्यौरा अनुबंध IV पर संलग्न है।

14. नौ (09) अहताओं को पुनः सक्रिय करना

14.1 समिति को सूचित किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) और उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) ने सीएसडीसीआई से लगभग उन 8000 शिक्षार्थियों का मूल्यांकन और प्रमाणन कार्य हेतु अनुरोध किया था, जिन्होंने सीएसडीसीआई की 11 एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अहताओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

14.2 समिति को आगे अवगत कराया गया कि दिनांक 24 फरवरी 2022 को आयोजित 16 वीं एनएसक्यूसी में एनसीवीईटी द्वारा 11 कार्य भूमिकाओं में से 09 को अभिलेखित किया गया था, जबकि शेष 02 अहताओं को उनके अप्रचलित हो जाने के कारण सीएसडीसीआई के अनुरोध पर निष्क्रिय कर दिया गया था। संबंधित एबी के द्वारा इकोसिस्टम में अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं को उचित साबित करने की शर्त पर अभिलेखित अहताओं को फिर से सक्रिय करने का प्रावधान मौजूद होने के कारण नौ (09) एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अहताओं को छह महीने की अवधि के लिए या उनका लंबित मूल्यांकन और प्रमाणन का कार्य पूरा होने, जो भी पहले हो, तक फिर से सक्रिय करने का प्रस्ताव किया गया था। शेष दो (02) कार्य भूमिकाओं ('मल्टी स्किल तकनीशियन' और 'फैब्रिकेशन एंड टैक वेल्डर') को सीएसडीसीआई द्वारा अप्रचलित घोषित किया गया था और इसलिए उन्हें फिर से सक्रिय करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

14.3 समिति के द्वारा कहा गया कि कुछ राज्य नैशनल क्वॉलिफिकेशन रजिस्टर (एनक्यूआर) और स्किल इंडिया पोर्टल (एसआईपी) से निष्क्रिय किए गए (डि-ऐक्टिवेटेड) और अभिलेखित अहताओं (आर्काइव्ड क्वॉलिफिकेशन्स) का चयन कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रदायी निकाय जिनकी अहता का चयन किया जा रहा है, उनसे अहता का चयन करते समय संपर्क नहीं किया जाता है। वे संबंधित एबी से तभी संपर्क करते हैं जब उनकी अहता का मूल्यांकन किया जाना होता है, जो कि इस विषय के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों/ नीतियों के विपरीत है।

14.4 समिति ने एनसीवीईटी को यह भी निर्देश दिया कि वह एनक्यूआर/ एसआईपी से केवल सक्रिय अर्हताओं का चयन करने के संबंध में सभी एसएसडीएम और एससीवीटी, जो भी लागू हो, को एक परामर्श जारी करे और साथ ही वीईटी और स्किल इकोसिस्टम में न्यूनतम प्रशिक्षण मानक बनाए रखे जाने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित करें।

14.5 मौजूदा मामले में, चूंकि यूपीएसडीएम के साथ-साथ मध्य प्रदेश के एनयूएलएम ने भी निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया है, इसलिए समिति ने इन नौ (9) अर्हताओं को फिर से सक्रिय करने का अनुमोदन प्रदान नहीं किया। समिति ने दोहराया कि प्रशिक्षण के लिए अभिलेखित/ डी-एक्टिवेटेड अर्हता में दाखिला लेने के लिए पूर्व में लिए गए निर्णयों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए और मान्यता प्राप्त एबी को चेतावनी भी दी कि वे ऐसी किसी भी अर्हता का मूल्यांकन कार्य करने से बचें, जो सरकारी योजना या वित्त पोषित कार्यक्रम के माध्यम चलाई जा रही हो, यदि ऐसी किसी भी संस्था द्वारा प्रशिक्षण मानदंडों का पालन नहीं किया गया है।

14.6 समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित राज्यों में संबंधित कार्यान्वयन निकाय सीएसडीसीआई के परामर्श से प्रशिक्षण के लिए अपनाए गए अन्य एनएसक्यूएफ मापदंडों के साथ अर्हता का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं और इन निष्क्रिय की गई (डी-एक्टिवेटेड) अर्हताओं के मूल्यांकन के प्रस्ताव पर उचित निर्णय के लिए इन्हें एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

कार्यसूची मद 07: एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए अर्हता/ एनओएस को प्रस्तुत करना

15. समिति को एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए दिनांक 29 अप्रैल 2023 तक प्राप्त 181 अर्हताओं (151 नए और 30 संशोधित) और प्राप्त 06 एनओएस का विवरण निम्नानुसार दिया गया था:

15.1 181 अर्हताओं में से कुल 89 (60 नए और 29 संशोधित) और 6 एनओएस मान्यता प्राप्त एबी (केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/ राज्य निकायों/ एसएससी/ अन्य सरकारी और निजी निकायों) से प्राप्त हुए थे। इनमें से 82 अर्हताओं (53 नई और 29 संशोधित) और छह (06) स्टैंडअलोन एनओएस को 30 वीं एनएसक्यूसी में रखे जाने पर विचार किया गया क्योंकि शेष अर्हताओं में संबंधित प्रदायी निकाय से वांछित सूचना और स्पष्टीकरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

15.2 भारतीय रक्षा बलों (तीनों - सेवाओं) से कुल 92 (91 नई और 01 संशोधित) अर्हताएं

प्राप्त हुई। इनमें से 47 अर्हताओं (46 नई और 01 संशोधित) को 30 वीं एनएसक्यूसी में रखे जाने पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, 27 अर्हताएं ऐसी थी, जिनमें मौजूदा एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता/ एनओएस वाला ही नामकरण और एनओएस (20% से कम परिवर्तन वाले) पाया गया, जिससे कि दोहराव हो सकता है। शेष 18 अर्हताएं टिप्पणियों के साथ लौटा दी गई हैं।

16. उपर्युक्त अर्हताओं और एनओएस पर समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुवर्ती पैरा में दिए गए हैं। समिति के अनुमोदन और निर्णय की स्थिति का विस्तृत विवरण **अनुबंध V** में दिया गया है।

प्रदायी निकाय (केंद्रीय मंत्रालय/ राज्य निकाय/ एसएससी/ अन्य सरकारी और निजी निकाय)।

17. **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई):** 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूल सिद्धांत' नामक एक (01) नई अर्हता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति ने पाया कि यह कार्य भूमिका/ अर्हता के एनएसक्यूएफ मानकों को पूरा नहीं करता है, किन्तु यह एनओएस के रूप में अनुमोदन के मानदंडों को पूरा करता है, जिस पर सीबीएसई के निदेशक द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और इसलिए प्रस्तावित अर्हता को स्टैंडअलोन एनओएस के रूप में अनुमोदित किया गया था।

18. **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस):** समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई एक (01) नई अर्हता को अनुमोदित किया गया।

19. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी):** समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई एक (01) संशोधित अर्हता को अनुमोदित किया गया।

20. **पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास परिषद् (डब्ल्यूबीएससीटीवीईएसडी):** समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई एक (01) संशोधित अर्हता को अनुमोदित किया गया।

21. **ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल):** समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई एक (01) नई अर्हता को अनुमोदित किया गया।

22. **ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद्:** समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई एक चार (04) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया।

23. **घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद्:** 'मॉटेसरी स्कूल फैसिलिटेटर कम केयरगिवर' नामक एक (01) नई अर्हता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति ने अर्हता के नाम में बदलाव कर इसे 'प्ले स्कूल फैसिलिटेटर कम केयरगिवर' के रूप में सामान्य नामकरण करने की शर्त के अधीन

अर्हता को अनुमोदन प्रदान किया, जिस पर डीडब्ल्यूएसएससी के सीईओ द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

24. इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई): 'ड्रोन असिस्टेंट टेक्नीशियन' नामक एक (01) नई अर्हता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति ने अर्हता के नामकरण में बदलाव कर इसका नाम 'असिस्टेंट ड्रोन टेक्नीशियन' रखने की शर्त के अधीन अर्हता को अनुमोदन प्रदान किया, जिस पर सीईओ ईएसएससीआई द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

25. खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (एफआईसीएसआई): समिति के समक्ष प्रस्तुत पांच (05) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया। समिति ने 'लैब इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेशलिस्ट' का नाम बदलकर 'फूड लैब इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेशलिस्ट' करने का सुझाव दिया और इस पर एफआईसीएसआई के सीईओ ने सहमति जताई।

26. हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र कौशल परिषदः: दो (02) नई अर्हताएं और 14 संशोधित अर्हताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई और नामकरण और तीन अर्हताओं के एनएसक्यूएफ स्तर में परिवर्तन करने की शर्त के अधीन इन्हें अनुमोदित किया गया जिस पर हस्तशिल्प एवं कालीन क्षेत्र कौशल परिषद् के सीईओ ने सहमति जताई। इसका विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	एनएसक्यूएफ स्तर के साथ अर्हता का प्रस्तावित नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर के साथ अनुमोदित अर्हताओं के बदले गए तथा सहमति प्रदान किए गए नाम
क)	'कालीन गुणवत्ता नियंत्रक' एनएसक्यूएफ स्तर 3.5	कालीन गुणवत्ता परीक्षक, एनएसक्यूएफ स्तर 4
ख)	डिजाइनर और शेड राइटर (कालीन) एनएसक्यूएफ स्तर 3	सहायक डिजाइनर और शेड राइटर (कालीन) एनएसक्यूएफ स्तर 4
ग)	टफ्टेड बुनाई पर्यवेक्षक (कालीन) एनएसक्यूएफ स्तर 4	टफ्टेड बुनाई सहायक पर्यवेक्षक (कालीन) एनएसक्यूएफ स्तर 4.5

27. हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषदः: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई एक (01) संशोधित अर्हता को अनुमोदित किया गया।

28. रबड़, रसायन और पेट्रोकेमिकल कौशल विकास परिषदः: समिति के समक्ष की गई प्रस्तुत की गई चार (04) संशोधित अर्हताओं को निर्धारित मानदंडों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में मैं प्रशिक्षणों की अपर्याप्त संख्या के कारण केवल 06 महीने की अवधि के लिए अनुमोदित किया

गया था।

29. खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और अवकाश कौशल परिषदः समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई दस (10) नई अहंताओं को अनुमोदित किया गया।

30. जल प्रबंधन और प्लम्बिंग कौशल परिषदः समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई दो (02) अहंताओं (1 नई और 1 संशोधित) को अनुमोदित किया गया।

31. श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू): समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई छह (06) नई अहंताओं को अनुमोदित किया गया।

32. महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई एक (01) नई अहंता को इस अहंता के नामकरण में परिवर्तन कर "विनिर्माण में औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियों में एडवांस्ड सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम" से "औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली पर्यवेक्षक" करने की शर्त के अधीन अनुमोदित किया गया था, जिस पर एबी द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

33. महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान: समिति के समक्ष की गई प्रस्तुत ग्यारह (11) नई अहंताओं को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया। नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार अहंताओं के नामकरण में कुछ परिवर्तन का सुझाव दिया गया था जिस पर प्रदायी निकाय द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। एबी को इसी तरह के प्रतिष्ठित संस्थानों / संगठनों से अहंता के लिए वेलिडेशन प्राप्त करने के लिए भी कहा गया था।

अहंता के नामकरण में सुझाए गए परिवर्तन

क्र.सं.	मौजूदा नाम	सुझाया गया नाम
1	पूजा विधान/ पौरोहित्य	पुरोहित - कनिष्ठ सहायक
2	वास्तु शास्त्र	वास्तुशास्त्र - कनिष्ठ सहायक
3	ज्योतिष शास्त्र	ज्योतिष शास्त्र - कनिष्ठ सहायक
4	वैदिक गणित	वैदिक गणित - कनिष्ठ सहायक
5	वैदिक संस्कार	वैदिक संस्कार- कनिष्ठ सहायक
6	मंदिर प्रबंधन	मंदिर प्रबंधन - कनिष्ठ सहायक

7	वैदिक प्रवचन / वेद शास्त्र प्रवचन	वेदशास्त्र प्रवचन - कनिष्ठ सहायक
8	स्मार्त यज्ञ विद्या	स्मार्त यज्ञ - कनिष्ठ सहायक
9	श्रौत यज्ञ विद्या	श्रौत यज्ञ - कनिष्ठ सहायक
10	योग चिकित्सा और मंत्र अनुप्रयोग	योग प्रशिक्षण - कनिष्ठ सहायक
11	आयुर्वेद परिचय और वैदिक औषधीय पौधे	आयुर्वेद एवं वनौषधि - कनिष्ठ सहायक

34. सेंचुरियन विश्वविद्यालय: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई तीन (03) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया।

35. हारट्रॉन: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई पांच (05) संशोधित अर्हताओं को अनुमोदित किया गया।

36. इंटरनेशनल ऑटोमोटिव सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई एक (01) नई अर्हता को अनुमोदित किया गया।

37. प्रशिक्षण महानिदेशालय: समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए एक (01) नए एनओएस को अनुमोदित किया गया।

38. हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र कौशल परिषद्: समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए पांच (05) नए एनओएस को अनुमोदित किया गया।

भारतीय रक्षा बल

39. भारतीय वायु सेना: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई नौ (09) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया।

40. सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई दो (02) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया।

41. सेना सर्विसेज कोर: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई एक (01) नई अर्हता को अनुमोदित किया गया।

42. बछतरबंद कोर: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई चार (04) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया। समिति ने बछतरबंद कोर निदेशालय के प्रयासों की सराहना की और अन्य सभी एबी

को ऐच्छिक विकल्प के साथ अर्हता को विकसित करते समय इसी प्रकार का समग्र दृष्टिकोण रखने पर विचार करने का सुझाव दिया।

43. सिग्नल कोर: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई पांच (05) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया।

44. इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर: समिति के समक्ष सात (07) नई अर्हताएं प्रस्तुत की गईं। छह (6) अर्हता को अनुमोदित किया गया और एक (1) अर्हता को अनुमोदित नहीं किया गया (क्योंकि 6 अनुमोदित अर्हताओं में ये सभी अर्हताएं मौजूद थीं)।

45. इन्फैट्री: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई तीन (03) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया।

46. मैकेनाइंज़ इन्फैट्री: समिति के समक्ष दो (02) नई अर्हताएं प्रस्तुत की गईं। समिति ने सुझाव दिया कि या तो 'लॉन्ड्री एसोसिएट' अर्हता को शामिल किया जाए या फिर अर्हता के नामकरण को बदलकर 'लॉन्ड्री एसोसिएट (रक्षा)' कर दिया जाए। नामकरण को बदलने के सुझाव पर एबी द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

47. मिलिट्री इंटेलिजेंस: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई चार (04) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया।

48. सैन्य पुलिस कोर: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई दो (02) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया। समिति ने 'लॉजिस्टिक्स फ्लीट एसोसिएट' नामक अर्हता का नाम बदलकर 'लॉजिस्टिक्स फ्लीट सुपरवाइजर' करने का सुझाव दिया और एबी ने इस पर सहमति जताई।

49. आर्टिलरी की रेजिमेंट: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई तीन (03) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया।

50. रीमाउंट पशु चिकित्सा कोर: समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई चार (04) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया। समिति ने इन सभी अर्हताओं के नाम में 'एडवांस्ड' शब्द जोड़ने का सुझाव दिया ताकि इन अर्हताओं और कृषि कौशल परिषद् की अर्हताओं के बीच अंतर रखा जा सके और एबी ने इस पर सहमति व्यक्त की।

कार्यसूची मद 08: अध्यक्ष की अनुमति से अतिरिक्त कार्यसूची

51. समिति को सूचित किया गया कि दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण में गुणवत्ता और संवेदनशीलता लाने के लिए 'प्रशिक्षक-दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)' की अर्हता को नवंबर 2020 में डोमेन

एसएससी द्वारा अनुमोदित ट्रेनर की अहता के अतिरिक्त 'टॉप अप' अहता के रूप में अनुमोदित किया गया था। उक्त अहता की वैधता दिनांक 30.06.2023 को समाप्त हो रही है। प्रशिक्षण और प्रमाणन की निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए, एससीपीडब्ल्यूडी ने इस अहता की वैधता में विस्तार देने का अनुरोध किया है।

52. समिति ने पीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण इकोसिस्टम में किसी व्यवधान से बचने के लिए दिनांक 31 अगस्त 2023 तक अथवा अहता में संशोधन होने तक 'सैद्धांतिक' स्वीकृति दी। विस्तृत जांच के बाद इस अहता को आगामी एनएसक्यूसी में पुष्टि हेतु रखा जा सकता है।

53. समिति को जानकारी दी गई कि 24 फरवरी, 30 जून और 28 जुलाई, 2022 को आयोजित 16, 20 और 21 वें एनएसक्यूसी की बैठकों में, सभी मान्यता प्राप्त प्रदायी निकायों (एबी) को सलाह दी गई थी कि वे अपनी मौजूदा एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अहताओं को 30 के गुणकों में तर्कसंगत बनाएं और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करने के लिए रोजगार योग्य कौशल (ईएस) को शामिल करें ताकि अधिगम के हर घंटे को एनसीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट व्यवस्था में शामिल किया जा सके। इसके बाद, टेलिकॉम एसएससी और हेल्थकेयर एसएससी ने क्रमशः 49 और 44 अहताओं को तर्कसंगत बनाया है।

समिति ने उपर्युक्त का संज्ञान लिया और इसकी पुष्टि की।

54. समिति ने आगे सभी एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त एबी को अगले 15 दिनों में अर्थात दिनांक 8 जुलाई 2023 तक एसआईपी पोर्टल और अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अपने टीओटी और टीओए कैलेंडर को अपलोड करने का निर्देश दिया। इससे स्किल इकोसिस्टम में प्रशिक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं की कमी की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी।

55. समिति ने सभी एबी को अपने टीओटी और टीओए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एमएसडीई और डीजीटी द्वारा संचालित सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों के साथ टाई-अप करने का भी सुझाव दिया क्योंकि इन सरकारी संगठनों के पास बेहतर बुनियादी ढांचा, जनशक्ति संसाधन, प्रशिक्षण प्रणालियां, संस्थागत क्षमता है और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और स्किल इकोसिस्टम में इनकी विशेषज्ञता है।

प्रदायी निकायों द्वारा एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए डुप्लिकेट अहताएं प्रस्तुत करना

56. समिति के ध्यान में लाया गया था कि कुछ एबी कुछ नाम मात्र के या महत्वहीन परिवर्तन (20% से कम) करके मौजूदा एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अहताओं से एनओएस लेकर अपने द्वारा नई विकसित अहता के रूप में एनसीवीईटी को प्रस्तुत करते हैं। यह प्रदायी निकायों द्वारा अहताएं शामिल करने के संबंध में एनसीवीईटी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के

विपरीत है। इस तरह की कार्रवाई से न केवल एनक्यूआर पर अहंता का दोहराव होता है, बल्कि इसके द्वारा अहंता का चयन करते समय शिक्षार्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों को गुमराह और अमित भी किया जा सकता है।

57. समिति ने कुछ मान्यता प्राप्त प्रदायी निकायों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और निर्णय लिया कि इस बैठक तथा विभिन्न हितधारकों की बैठकों के दौरान उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण और समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए और वीईटी और स्किल इकोसिस्टम के वास्तविक हित में जल्द से जल्द सिफारिशें प्रस्तुत की जाएं।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

List of Participants

National Skills Qualifications Committee (NSQC) Members

1. Dr Nirmaljeet Singh Kalsi, Chairperson, NCVET
2. Dr Vinita Aggarwal, Executive Member, NCVET
3. Dr Neena Pahuja, Executive Member, NCVET
4. Sh. K.K. Dwivedi, AS, MSDE
5. Dr Biswajit Saha Director CBSE
6. Dr T.N. Giri, Director (Voc. Edn.), NIOS
7. Ms. Deepti Saxena, NSDC

Observers

1. Maj Gen NS Jadhav, Army Training Command (ARTRAC)
2. Brig Rajneesh Singh, ARTRAC
3. Brig Puneet Srivastava, Army HQs, PS Dte.
4. Col Dogra, ARTRAC

NCVET Officials

1. Col. Santosh Kumar, Director,
2. Lt. Col Gunjan Chowdhary, Director,
3. Mr Sushil Agarwal, Director,
4. Mr Purnendu Kant, Director,
5. Mr. Harish Chander, Deputy Director
6. Mr. Pradeep Thota, Deputy Director
7. Mr. Milan Sahu, Deputy Director
8. Mr. Shourya Sangam, Consultant Grade2
9. Ms. Sarika Dixit, Consultant Grade2
10. Mr Amit Sharma, Consultant Grade1
11. Ms. Ojasvi Goyal, Consultant Grade1
12. Mr. Amir Waheed, Consultant Grade1
13. Mr. Balaji Baskaran, Consultant Grade1
14. Ms. Vandana Purohit, Consultant Grade 1
15. Ms. Sheetal Bhandari, Consultant Grade1
16. Mr. Amresh Kumar, Consultant, Grade1
17. Mr. Abhinav Mishra, Consultant, Grade1
18. Ms. Nidhi Trehan, Consultant, Grade1
19. Ms. Srishti Jha, Young Professional
20. Ms. Ratna Priya Kanchan, Young Professional
21. Mr. Parkishit Yadav, Young Professional
22. Ms. Pragya, Young Professional
23. Mr. Baiju, Young Professional

Representatives from sectoral stakeholders

1. Gp Capt AK Nair IAF
2. Group Captain P S Rajpal, IAF
3. Mr. Kailash Nath Verma, RO: NITI AAYOG
4. Mr. Krishnan - Associate director -ASAP Kerala
5. Mr. Daniel, Chief Consultant VE - MoE
6. Mr. Sanjeev Chawla MSME
7. Mr. Sujan Banerjee Army Aviation
8. Mr. Y.K Singh/NJJM/DIR
9. Dr. P. Saxena CEO Green Jobs
10. Mr. Jagdish Acharya, CEO, PCSC
11. Ms. Kirti Seth, CEO, NASSCOM
12. Mr. Krishan Kumar (CEO- Handicrafts & Carpet SSC)
13. Ms. Mona Gupta, CEO DWSSC
14. Mr. Narendra Deshpande, CEO, CSDCI
15. Mr. Rajeev Garg, GJSCI
16. Mr. Ravindra Singh, CEO SCPwD
17. Mr. Sunil Marwah (FICSI)
18. Mr. Tahsin Zahid Sports and Fitness Sector Council
19. Mr. Abhisek Mishra (WMPSC)
20. Mr. Aman_HCSSC
21. Mr. Ankur (FICSI)
22. Mr. Apoorv -SCMS
23. Mr. Arjun Singh_Handicrafts SSC
24. Mr. Ashish Ahuja - MESC
25. Mr. Ashish Anand, SCPwD
26. Mr. Bhuvnesh Kr. Verma (SSDF)
27. Col Anand Kumar Singh
28. Dr Lalit Kumar SVSU
29. Dr. Surabhi Goyal
30. Mr. Ishant Bajpai NIELIT
31. Mr. Koushik Dutta, EME SCHOOL
32. Ms. Monalisa Baruah (RCPSDC)
33. Ms. Maahi- AASSC
34. Ms. Gunjan Aneja -WMPSC
35. Ms. Rinki, WMPSC
36. Ms. Shikha, FICSI
37. Mr. Varun Tandon, WMPSC
38. Ms. Neha Dave -Standards CSDCI
39. Mr. Nitin Mittal SVSU
40. Mr. Pankaj Bajaj - CSDCI
41. Mr. Pashim Tewari, Technical Director, AIILSG
42. Ms. Pratibha NASSCOM
43. Mr. Pravesh Dudani Medhavi Skills
44. Ms. Priya LSC

- 45. Ms. Priyanka Pandey (DWSSC)
- 46. Ms. Priya-Sports SSC
- 47. Mr. Rajesh Deswal, Hartron
- 48. Ms. Reena LSC
- 49. Mr. Saket Saurabh, NIELIT
- 50. Mr. Saroj Mishra, SVSU
- 51. Mr. Saurabh Gupta, BECIL
- 52. Mr. Ashish Anand
- 53. Ms. Shalini Singh -CGSSC
- 54. Mr. Shoukath NIELIT, CHENNAI
- 55. Mr. Shubham Agrawal
- 56. Ms. Sunita Verma SCPwD
- 57. Mr. Yadwinder Sharma MRSPTU
- 58. Dr Lalit Kumar
- 59. Dr Megha
- 60. Dr Samarth Singh
- 61. Dr. Himanshu
- 62. Dr. Krishna Dayal Shukla
- 63. Dr. Meenakshi Agarwal
- 64. Dr. Savita Sharma
- 65. Ms. Shweta
- 66. NIOS
- 67. EME CENTRE
- 68. AEC TC & C
- 69. AIPTC
- 70. AOC CENTRE
- 71. ASC Centre South
- 72. CSTARI KOLKATA
- 73. CUTM, Odissa
- 74. MSRVVP Ujjain
- 75. RVC C&C
- 76. SPEFL- SC

Annexure- II

Corrections in the MoM of 28th and 29th NSQC Meetings

Sl. No.	Matter pertaining to	AB/SSC	erroneously mentioned item	Corrections approved in 30 th NSQC Meeting
1.	29 th NSQC Meeting	MEPSC	<u>Nomenclature of the qualification</u> ‘Practitioner: elective 1- Business Support and Elective 2- Financial Support’,	<u>Approved Nomenclature of the qualification</u> ‘Business Support Practitioner: Elective 1- Taxation and Import Compliance and; Elective 2- Employment statutory Compliance
2.	28 th NSQC Meeting	Life Sciences Sector Skill Development Council (LSSDC)	The validity date of the two qualifications ‘Bioinformatics Associate/Analyst’ and ‘Bioinformatics Scientist’ was mentioned as 25.06.23.	The corrected validity date: 25.06.2025

Annexure- III

Details of Six New Approved Certificate Templates

1. Certificate Template for standalone National Occupational Standards (NOS)



2. Certificate Template for Micro-Credential



3. Certificate Template for Upskilling

 अवार्डिंग बॉडी का नाम Name of the Awarding Body राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त Recognised by NCVET कोशलीन्यन प्रमाणपत्र Certificate for Upskilling	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  प्राप्तकर्ता का चित्र Photo of Candidate </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> प्राप्तकर्ता का संख्या Certificate No. : AWUPB000100000-081214 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएस This is to certify that Mr./Ms./Mx. </div> <div style="width: 45%;"> जन्म तिथि Date of Birth _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> बुपुज/बुपुजी/प्रतिपालित Son/Daughter/Ward of _____ </div> <div style="width: 45%;"> नामांकन संख्या Enrolment No. _____ </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> ने ऊर्जा रोल/अहर्ता का अंकलन सफलतापूर्वक has successfully cleared the Upskilling assessment in the job role/qualification </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> अवधि of duration _____ </div> <div style="width: 45%;"> अर्जित किए having earned _____ </div> <div style="width: 45%;"> क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ लेवल Credits at NCrF/NSQF Level _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> प्रशिक्षण केन्द्र Training Centre _____ </div> <div style="width: 45%;"> ज़िला in District _____ </div> <div style="width: 45%;"> राज्य State _____ </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> प्रतीक्षित/भेदी के साथ उत्तीर्ण किया। with _____ %/grade. </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div style="width: 30%;">जारी करने का स्थान Place of Issue: _____</div> <div style="width: 30%;">इकाई का नाम Scheme Name: _____</div> <div style="width: 30%;">इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div style="width: 30%;">उपायकरण की दिनी Date of Issue: _____</div> <div style="width: 30%;">इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____</div> <div style="width: 30%;">इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> E-Verification Link e-Verification link Digitally Generated Certificate </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> NCrF - National Credit Framework NSQF - National Skills Qualification Framework </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> (if applicable) इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____ इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____ इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____ इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____ इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____ </div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Certificate Template for Re-Skilling

 अवार्डिंग बॉडी का नाम Name of the Awarding Body राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त Recognised by NCVET पुनः कोशलीकरण प्रमाणपत्र Certificate for Reskilling	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  प्राप्तकर्ता का चित्र Photo of Candidate </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> प्राप्तकर्ता का संख्या Certificate No. : AWUPB000100000-081214 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएस This is to certify that Mr./Ms./Mx. </div> <div style="width: 45%;"> जन्म तिथि Date of Birth _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> बुपुज/बुपुजी/प्रतिपालित Son/Daughter/Ward of _____ </div> <div style="width: 45%;"> नामांकन संख्या Enrolment No. _____ </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> ने ऊर्जा रोल/अहर्ता का अंकलन सफलतापूर्वक has successfully cleared the Reskilling assessment in the job role/qualification </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> अवधि of duration _____ </div> <div style="width: 45%;"> अर्जित किए having earned _____ </div> <div style="width: 45%;"> क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ लेवल Credits at NCrF/NSQF Level _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> प्रशिक्षण केन्द्र Training Centre _____ </div> <div style="width: 45%;"> ज़िला in District _____ </div> <div style="width: 45%;"> राज्य State _____ </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> प्रतीक्षित/भेदी के साथ उत्तीर्ण किया। with _____ %/grade. </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div style="width: 30%;">जारी करने का स्थान Place of Issue: _____</div> <div style="width: 30%;">इकाई का नाम Scheme Name: _____</div> <div style="width: 30%;">इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div style="width: 30%;">उपायकरण की दिनी Date of Issue: _____</div> <div style="width: 30%;">इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____</div> <div style="width: 30%;">इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> E-Verification Link e-Verification link Digitally Generated Certificate </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> NCrF - National Credit Framework NSQF - National Skills Qualification Framework </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> (if applicable) इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____ इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____ इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____ इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____ इकाई का चित्र Logo of Scheme: _____ </div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



5. Certificate for RPL with Up-Skilling

 अवार्डिंग बॉडी का नाम Name of the Awarding Body राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त Recognised by NCVET अपस्किलिंग के साथ पूर्ण अधिकारी की मान्यता के लिए प्रमाणपत्र Certificate for Recognition of Prior Learning with Upskilling	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Photo of Candidate </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> प्रमाणपत्र संख्या Certificate No. : AWUPB000100000-081214 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री/ एमएस</p> <p>This is to certify that Mr./Ms./Mx.</p> <p>सुपुत्र/ सुपुत्री/ प्रतिपालित</p> <p>Son/Daughter/Ward of _____</p> <p>ने जीव रोल/ अहर्ता का आकलन सफलतापूर्वक</p> <p>has successfully cleared the assessment in the job role/qualification</p> <p>अधिकारी के साथ अपस्किलिंग</p> <p>with Upskilling of duration _____</p> <p>प्रशिक्षण केंद्र</p> <p>Training Centre/Establishment _____</p> <p>प्रतिशत/ श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।</p> <p>with _____ %/grade.</p> <p>जन्म तिथि</p> <p>Date of Birth _____</p> <p>नामकरण संख्या</p> <p>Enrolment No _____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>अर्जित किया</p> <p>having earned</p> <p>क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ रेट</p> <p>Credits at NCf/NSQF Level _____</p> <p>जिला</p> <p>in District _____</p> <p>राज्य</p> <p>State _____</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Scheme logo</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Logo of awarding body</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Logo of awarding body</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p>इ-वार्यपत्र सिल्क</p> <p>e-Verification link</p> <p>Digitally Generated Certificate</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>NCf - National Credit Framework</p> <p>NSQF - National Skills Qualification Framework</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>हस्ताक्षर Signature -</p> <p>नाम Name -</p> <p>पद Designation -</p> <p>(Incase of joint certification)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>हस्ताक्षर Signature -</p> <p>नाम Name -</p> <p>पद Designation -</p> </div> </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Certificate Template for School Boards

 अवार्डिंग बॉडी का नाम NAME OF THE AWARDING BODY (SCHOOL BOARD) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त (Recognised by NCVET) कौशल योग्यता प्रमाणपत्र Certificate for Skill Competency	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Photo of Candidate </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> प्रमाणपत्र संख्या Certificate No. : AWUPB000100000-081214 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री/ एमएस</p> <p>This is to certify that Mr./Ms./Mx.</p> <p>सुपुत्र/ सुपुत्री/ प्रतिपालित</p> <p>Son/Daughter/Ward of _____</p> <p>ने जीव रोल/ अहर्ता का आकलन सफलतापूर्वक</p> <p>has successfully cleared the assessment in the job role/qualification</p> <p>अधिकारी के साथ अपस्किलिंग</p> <p>of duration _____</p> <p>प्रियालय</p> <p>School _____</p> <p>प्रतिशत/ श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।</p> <p>with _____ %/Grade.</p> <p>जन्म तिथि</p> <p>Date of Birth _____</p> <p>नामकरण संख्या</p> <p>Enrolment No _____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>अर्जित किया</p> <p>having earned</p> <p>क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ रेट</p> <p>Credits at NCf/NSQF Level _____</p> <p>जिला</p> <p>in District _____</p> <p>राज्य</p> <p>State _____</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Scheme logo</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Logo of awarding body</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>हस्ताक्षर Signature -</p> <p>नाम Name -</p> <p>पद Designation -</p> <p>(Incase of joint certification)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>हस्ताक्षर Signature -</p> <p>नाम Name -</p> <p>पद Designation -</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p>इ-वार्यपत्र सिल्क</p> <p>e-Verification link</p> <p>Digitally Generated Certificate</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>NCf - National Credit Framework</p> <p>NSQF - National Skills Qualification Framework</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>हस्ताक्षर Signature -</p> <p>नाम Name -</p> <p>पद Designation -</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>हस्ताक्षर Signature -</p> <p>नाम Name -</p> <p>पद Designation -</p> </div> </div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List of 28 Qualifications of Construction Skill Development Council of India (CSDCI) granted interim Approval

S. No.	Qualification Name	NQR Code	NSQF Level	Notional Hour
1	Assistant Bar Bender & Steel Fixer	2019/CON/CSDCI/3285	3	350
2	Assistant Construction Fitter	2019/CON/CSDCI/3298	3	350
3	Assistant Construction Painter & Decorator	2019/CON/CSDCI/3291	3	350
4	Assistant Facade Installer	2019/CON/CSDCI/3305	3	350
5	Assistant Mason	2019/CON/CSDCI/3282	3	350
6	Assistant Scaffolder- Conventional	2019/CON/CSDCI/3289	3	350
7	Assistant Scaffolder- System	2019/CON/CSDCI/3288	3	350
8	Assistant Shuttering Carpenter	2019/CON/CSDCI/3287	3	350
9	Assistant Technician – Prestress	2019/CON/CSDCI/3301	3	350
10	Construction Fitter	2019/CON/CSDCI/3300	4	400
11	Construction Painter and Decorator	2019/CON/CSDCI/3292	4	400
12	Doors & Windows Fixer	2019/CON/CSDCI/3306	4	400
13	Grinder- Construction	2019/CON/CSDCI/3299	3	350
14	Helper Bar Bender and Steel Fixer	2019/CON/CSDCI/3284	2	300
15	Helper Construction Painter	2019/CON/CSDCI/3290	2	300
16	Helper Facade Installer	2019/CON/CSDCI/3303	2	300
17	Helper Fabrication	2019/CON/CSDCI/3297	2	300
18	Helper Interior Finishes	2019/CON/CSDCI/3302	2	300
19	Helper Mason	2019/CON/CSDCI/3281	2	300
20	Helper Shuttering Carpenter	2019/CON/CSDCI/3286	2	300
21	Khalasi (Assistant Rigger)	2019/CON/CSDCI/3294	3	350
22	Mason Concrete	2019/CON/CSDCI/3283	4	400
23	Rigger - Structural Erection	2019/CON/CSDCI/3295	4	400
24	Rigger Precast Erection	2019/CON/CSDCI/3296	4	400
25	Store Assistant - Construction	2019/CON/CSDCI/3309	3	350
26	Structural Steel NDT Tester- UT/MPT/DPT	2019/CON/CSDCI/3293	4	200
27	Facade Installer	2019/CON/CSDCI/3307	4	400
28	Assistant False Ceiling and Drywall Installer	2019/CON/CSDCI/3304	3	350

List of Qualifications approved in the 30th NSQC Meeting.

Sl. No.	Qualification Name	New/ Revised	NSQF Level	Approval Status
Central Board of Secondary Education (CBSE)				
1	Fundamentals of Artificial Intelligence	New	3	Approved as a NOS
National Institute for Open Schooling (NIOS)				
1	Drinking Water Purifier Technician	New	3.5	Approved
National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT):				
1	Embedded Software Engineer	Revised	6	Approved
West Bengal State Council of Technical & Vocational Education and Skill Development (WBSCTVESD)				
1	Toy Maker (Soft Toys)	Revised	3	Approved
Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL)				
1	EV Charging Station - Attendant (Future Skill)	New	3	Approved
Automotive Skills Development Council (ASDC)				
1	Automotive Dealership Data Science Specialist	New	6	Approved
2	Automotive Design Safety Specialist	New	6	Approved
3	Automotive IIOT Application Specialist	New	6	Approved
4	Automotive Manufacturing Data Science Specialist	New	6	Approved
Domestic Workers Sector Skill Council (DWSSC)				
1	Play School Facilitator cum Caregiver	New	4	Approved
Electronics Sector Skills Council of India (ESSCI)				
1	Assistant Drone Technician	New	3	Approved
Food Industry Capacity & Skill Initiative (FICSI)-				
1	Millet Product Processor	New	3	Approved
2	Food Lab Instrumentation Specialist	New	5	Approved
3	Food Sampler	New	3.5	Approved
4	Honey Processor	New	2	Approved

5	Multi Skill Technician - Fruits & Vegetables	New	3	Approved
Handicraft and Carpet Sector Skill Council (HCSSC)				
1	Handcrafted Candle Maker	New	3	Approved
2	Leaf Utility Products Artisan	New	2	Approved
3	Abrasion & Grinding Machine Operator	Revised	3	Approved
4	Acid Cleaner (Metal ware)	Revised	3	Approved
5	Block Print Supervisor	Revised	4	Approved
6	Carpet Quality Checker	Revised	4	Approved
7	Clipper and Embosser (Carpets)	Revised	3	Approved
8	Cutting and Threading Operator (Metalware)	Revised	2.5	Approved
9	Decorative Glass Cutter (Glassware)	Revised	3	Approved
10	Assistant Designer & Shade Writer (Carpets)	Revised	4	Approved
11	Dyer (Rangsaaz) (Carpets)	Revised	3	Approved
12	Glass Blowing Operator (Glassware)	Revised	3	Approved
13	Planishing Artisan (Metal ware)	Revised	3	Approved
14	Silver Coating- Junior Technician (Glassware)	Revised	3	Approved
15	Tufted Weaving Assistant Supervisor (Carpets)	Revised	4.5	Approved
16	Tufting Gun Operator (Carpets)	Revised	3	Approved
Hydrocarbon Sector Skill Council (HSSC)				
1	Junior Operator- 2G Ethanol Plant	New	3	Approved
Rubber, Chemical and Petrochemical Skill Development Council				
1	Assembling & Curing Operator- Footwear & Sports Goods	Revised	4	Approved for 6 months
2	Bead Extrusion and Assembly Operator	Revised	4	Approved for 6 months
3	Tyre Building Operator- Radial Light truck	Revised	4	Approved for 6 months
4	Tyre Building Operator- Truck and Bus (Bias Tyre)	Revised	4	Approved for 6 months
Sports, Physical Education, Fitness and Leisure Skills Council				
1	Golf Club Junior Technician (Fitting & Repair)	New	3	Approved
2	Golf Caddie	New	3	Approved

Agenda for the 30th Meeting of NSQC dated 23rd. June

3	Caddie Master	New	4	Approved
4	Golf Instructor	New	5	Approved
5	Sports Goods Manufacturing Helper	New	2	Approved
6	Sports Bat & Racquet-Craftsperson (Junior)	New	3	Approved
7	Sports Ball Craftsperson (Junior)	New	3	Approved
8	Gym Equipment Service Technician (Junior)	New	3	Approved
9	Sports Goods Production Supervisor	New	5	Approved
10	Sports Goods Factory Manager	New	6	Approved

Maharishi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan -

1	पुरोहित - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved
2	वास्तुशास्त्र - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved
3	ज्योतिषशास्त्र - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved
4	वैदिकगणित - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved
5	वैदिक संस्कार - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved
6	मन्दिर प्रबन्धन - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved
7	वेद शास्त्र प्रवचन - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved
8	स्मार्त यज्ञ - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved
9	श्रौत यज्ञ - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved
10	योग प्रशिक्षण - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved
11	आयुर्वेद एवं वनौषधि - कनिष्ठ सहायक	New	2.5	Conditionally Approved

Water Management & Plumbing Skill Council (WMPSC)

1	Fire Systems Supervisor	New	5	Approved
2	Plumbing Site Engineer	Revised	6	Approved
3	जल वितरण संचालक (Water Distribution System Operator) (Multi-Skill)".	New	4	Approved

Centurion University of Technology and Management

1	Transformer Manufacturing Supervisor	New	5	Approved
2	Transformer Testing Supervisor	New	5	Approved
3	Transformer Manufacturing Engineer	New	6	Approved

Shri Vishwakarma Skill University (SVSU)

1	Online Advertisement Specialist	New	5.5	Approved
2	Smart Electrician	New	4	Approved
3	Welding Robot Operator	New	4.5	Approved
4	Indian Traditional Food Maker	New	4	Approved
5	Mechatronics Senior Technician	New	4.5	Approved
6	Corporate Training Manager	New	6	Approved

Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University -

	Industrial Automation and Control Systems Supervisor	New	5	Approved
--	------------------------------------------------------	-----	---	----------

HARTRON

1	Digital Marketing Assistant	Revised	3	Approved
2	Assistant PHP Developer	Revised	3	Approved
3	Software/ Application Testing Assistant	Revised	3	Approved
4	Hardware Peripheral & Installation assistant	Revised	3	Approved
5	Computer Hardware & Networking Associate	Revised	4	Approved

International Automobile Centre of Excellence - iACE

1	Junior Tyre Specialist	New	4.5	Approved
---	------------------------	-----	-----	----------

NOS

Handicraft and Carpet Sector Skill Council

1	Basic program on Hand block printing (Upskilling)	New	4	Approved
2	Advanced program on Hand block printing (Upskilling)	New	4	Approved
3	Team and work area management (Upskilling)	New	3	Approved
4	Basic program on Traditional hand embroidery (Upskilling)	New	4	Approved
5	Advanced program on Traditional Hand Embroidery (Upskilling)	New	4	Approved

Directorate General of Training (DGT)				
1	Employability NOS for 2nd year of CTS	New	---	Approved
Defense Forces				
Air Force				
1	Aircraft Structure and Power Plant Technician	New	4.5	Approved
2	Aircraft Mechanical, Armorer and Safety Equipment Technician	New	4.5	Approved
3	Electronics, Electrical and Radio Communication Technician	New	4.5	Approved
4	Mechanical & Automobile Technician	New	4.5	Approved
5	Power plant & Air Conditioning Electrical and Electronics Technician	New	4.5	Approved
6	Radar Electrical & Electronics Technician	New	4.5	Approved
7	Communication Technology Technician	New	4.5	Approved
8	Air Filed Lighting and Navigational Aids Technician	New	4.5	Approved
9	Information Technology & Networking Technician	New	4.5	Approved
Army Physical Training Corps				
1	Physical Fitness Trainer-(Defence)	New	4.5	Approved
2	Personal & Gym Trainer-(Defence)	New	4.5	Approved
Army Service Corps				
1	Office Supervisor	New	4.5	Approved
Directorate General of Armoured Corps (4 New Qualifications)				
1	Light Motor Vehicle Driver Electives 1. Chauffer 2. Specialized Towing Vehicle Driver	New	4.5	Approved
2	Security Guard (Armed) ELECTIVES 1. Industrial Security 2. Airport Security 3. Armed Vehicle/ Convoy Security	New	4.5	Approved

3	Commercial Vehicle Driver-Trainer	New	4.5	Approved
4	Light Motor Vehicle Driver-Trainer	New	4.5	Approved
Corps of Signals				
1	Data Network Technician	New	4.5	Approved
2	Draughtsman Topographical	New	4.5	Approved
3	Technician Electrical System	New	4.5	Approved
4	Technician Network System Support	New	4.5	Approved
5	Communication Centre and Radio System Associate	New	4.5	Approved
Corps of Electronics and Mechanical Engineers				
1	Technician Electrician	New	4.5	Approved
2	Technician Automobile vehicle	New	4.5	Approved
3	Technician Heavy Engineer Equipment	New	4.5	Approved
4	Technician Electrician Automobile	New	4.5	Not Approved
5	Machinist	New	4.5	Approved
6	Refrigeration and air conditioning - Technicians	New	4.5	Approved
7	Technician Communication Equipment	New	4.5	Approved
Infantry				
1	Security Supervisor (Defense)	New	4.5	Approved
2	Adventure Travel Guide (Defense)	New	4.5	Approved
3	Housekeeping Support Staff	New	4.5	Approved
Mechanized Infantry				
1	Laundry Associate (Defense)	New	4.5	Approved
2	Assistant Supervisor CCTV	New	4.5	Approved
Military Intelligence				
1	Field Investigator	New	4.5	Approved
2	Private Detective	New	5	Approved
3	Security Manager	New	5	Approved
4	GIS Informatics Analyst	New	5.5	Approved
Corps of Military Police				
1	Public Order and Safety Assistant (Military Police)	New	4.5	Approved
2	Logistics Fleet Supervisor	New	5	Approved
Regiment of Artillery				

1	Food and Beverage Service - Associate	New	4.5	Approved
2	Fire Suppression Technician	New	4.5	Approved
3	Surveyor (Land Systems)	New	4.5	Approved
Remount Veterinary Corps				
1	Advanced Equine Farrier (advance)	New	4.5	Approved
2	Advanced Canine Trainer And Handler (advance)	New	4.5	Approved
3	Advanced Specialist Animal Groomer (advance)	New	4.5	Approved
4	Advanced Horse Trainer(advance)	New	4.5	Approved

.....
The End